रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052026-272238
CG-DL-E-06052026-272238

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287]	**नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 27, 2026/वैशाख 7, 1948**
No. 287]	**NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 2026/VAISAKHA 7, 1948**

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 311(अ).— कतिपय प्रारूप नियम, अर्थात् अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान, समूह 'क' और समूह 'ख' प्रशासनिक पद भर्ती नियम, 2025 अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) की धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित उपबंधों के अनुसार, जिनसे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने हेतु भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 5 अगस्त, 2025 को प्रकाशित किए गए थे;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ;

अतः अब, केंद्रीय सरकार अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) की धारा 23 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान, समूह 'क' और समूह 'ख' प्रशासनिक पद भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'अधिनियम' से अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) अभिप्रेत है;

(ख) 'नियंत्रण प्राधिकारी' से प्रतिष्ठान की कार्यकारी परिषद अभिप्रेत है;

(ग) "प्रतिष्ठान" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अभिप्रेत है;

(घ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है, और

(ङ) इसमें प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में क्रमशः है।

3. लागू होना— ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

4. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

5. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हतायें, आदि.- उक्त पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हतायें और अन्य मामले पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगी।

6. नियुक्ति प्राधिकारी.– प्रतिष्ठान की कार्यकारी परिषद पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) में उल्लिखित पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

7. वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट— उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को धारण करने वाले अधिकारी, स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रारूप में, वार्षिक आधार पर, आज्ञापक रूप से अपना वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट भरेंगे।

8. परिवीक्षा.—(1) सीधी भर्ती द्वारा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त अधिकारियों के लिए परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी:

परंतु, नियंत्रण प्राधिकारी, केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार, परिवीक्षा की अवधि का विस्तार कर सकेगा:

और परंतु यह कि, परिवीक्षा अवधि के विस्तार के संबंध में कोई भी विनिश्चय, साधारणत्या: पूर्ववर्ती परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात् आठ सप्ताह के भीतर लिया जाएगा तथा उक्त अवधि के भीतर ही, ऐसा करने के कारणों सहित, संबंधित अधिकारी को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा की अवधि अथवा उसके किसी विस्तार की समाप्ति पर, यदि अधिकारी को स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाता है, तो उसे उपलब्ध स्थायी रिक्ति पर स्थायीकरण प्रदान किया जाएगा।

(3) यदि परिवीक्षा की अवधि अथवा उसके किसी विस्तार के दौरान, यथास्थिति, प्रतिष्ठान का यह विचार हो कि अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो यथास्थिति प्रतिष्ठान अधिकारी को कार्य मुक्त कर सकता है या उसे उसकी प्रतिष्ठान में नियुक्ति से पूर्व धारित पद पर पुनः नियुक्त कर सकता है।

(4) परिवीक्षा की अवधि, अथवा उसके किसी विस्तार के दौरान, परिवीक्षा की संतोषजनक पूर्णता की शर्त के रूप में अधिकारी को प्रतिष्ठान द्वारा अपेक्षित समझे जाने पर ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और निर्देश प्राप्त करने, तथा परीक्षाएँ और परीक्षण, जिसमें हिंदी भाषा की परीक्षा भी शामिल हो सकती है, जैसा प्रतिष्ठान उचित समझे, उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होगी।

(5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों में, अधिकारी को इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करना होगा।

9. पुष्टीकरण.— सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त अधिकारी का पुष्टीकरण, अनुसूची में निर्दिष्ट विभागीय पुष्टीकरण समिति की सिफारिशों के आधार पर, नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

10. अनर्हता.- कोई भी व्यक्ति,-

क). जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति/पत्नी जीवित है, या

ख). जिसने अपने पति/पत्नी जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से पृथक कर सकती है।

11. बाह्य चिकित्सा उपचार.- (1) अधिकारी स्वयं और कुटुंब के घोषित सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति पाने के पात्र होंगे

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "कुटुंब" शब्द का वही अर्थ होगा जो केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचारक) नियम, 1944 में है।

(2) वर्ष के दौरान बाह्य चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय या वर्ष की पहली जनवरी को एक माह के वेतन मूल वेतन + महंगाई भत्ता जो भी कम हो, तक सीमित होगी:

परंतु वर्ष के दौरान किसी वेतन वृद्धि या पदोन्नति का प्रभाव 1 जनवरी को निर्धारित सीमा पर नहीं पड़ेगा।

(3) चिकित्सा दावे के समर्थन में चिकित्सा अधिकारी का पर्चा और चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर से विधिवत हस्ताक्षरित और प्रमाणित उपचार और दवाओं की खरीद के मूल कैश मेमो या बिल होने चाहिए।

(4) 1 जनवरी के बाद वर्ष के दौरान कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों के लिए, वार्षिक हक़दारी आनुपातिक आधार पर प्रतिबंधित होगी।

(5) बाह्य उपचार केवल प्रतिष्ठान द्वारा विधिवत रूप से पैनल में शामिल अधिकृत चिकित्सा परिचारकों से ही प्राप्त किया जा सकेगा।

(6) गंभीर बीमारियों की स्थिति में, दवाओं और परीक्षणों, यदि कोई हो, की लागत की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ, केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचारक) नियम, 1944 या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त या कवर किए गए अस्पतालों का पर्चा स्वीकार्य होगा।

(7) अत्यधिक लागत वाले उपचार के प्रयोजनार्थ, प्रतिपूर्ति, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना या केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के उपबंधों के अनुसार, अलग-अलग मामले के आधार पर प्रतिष्ठान के अनुमोदन से, विनिर्दिष्ट दरों पर स्वीकार्य होगी।

(8) आपातकाल की स्थिति में कर्मचारी निकटतम अस्पताल में उपचार करा सकता है और व्यय की प्रतिपूर्ति केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार की जाएगी, यह चिकित्सा अधिकारी या अस्पताल प्राधिकारियो के आपातकालीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन है।

12. आंतरिक चिकित्सा उपचार.- (1) आंतरिक चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए, अधिकारी इस संबंध में प्रतिष्ठान द्वारा अधिकृत अस्पतालों में उपचार प्राप्त करने के लिए पात्र होगा और इस प्रयोजन के लिए अस्पताल आवास, नर्सिंग होम सुविधा सहित उपचार की लागत केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचारक) नियम, 1944 के उपबंधों के अनुसार होगी, जो वेतन मैट्रिक्स में समतुल्य वेतन पाने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारियों पर लागू होती है।

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित प्राधिकृत अस्पतालों में उपचार वही होगा जो केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचारक) नियम, 1944 के अनुसार उपचार प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों के लिए अनुमेय है।

(3) आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, उप-नियम (1) में उल्लिखित प्राधिकृत अस्पतालों में प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की सलाह पर ही उपचार लिया जा सकता है।

13. सेवानिवृत्ति लाभ.— उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान के अधिकारियों पर, केंद्रीय सरकार के समकक्ष वेतन स्तर वाले अधिकारियों पर लागू नई पेंशन योजना अथवा एकीकृत पेंशन योजना के उपबंध, लागू होंगे।

14. शिथिल करने की शक्ति - जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिखित में दर्ज करके, आदेश द्वारा, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

15. प्रारंभिक गठन.- (1) इन नियमों के लागू होने की तारीख पर, इन पदों पर नियमित आधार पर नियुक्त सभी अधिकारी, इन नियमों के अधीन उक्त पद पर नियुक्त माने जाएंगे, और उक्त पद पर ऐसे प्रारम्भ से पूर्व उनके द्वारा प्रदान की गई नियमित सेवा पर वरिष्ठता, प्रोन्नति, पुष्टिकरण आदि के प्रयोजनों के लिए विचार किया जाएगा।

(2) इन नियमों के लागू होने से तुरंत पूर्व सेवारत प्रतिष्ठान के अधिकारियों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें, इन नियमों के उपबंधों के अनुरूप होंगी।

16. व्यावृत्ति.-इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स स्तर	चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निदेशक	2* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	समूह 'क' प्रशासनिक पदों के समकक्ष	स्तर -13 (रु.123100 - 215900)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हतायें।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएँ पदोन्नत होने पर लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि, चाहे वह प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा हो या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समायोजन द्वारा और विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/समायोजन के माध्यम से भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/केंद्र समायोजन किया जाएगा।
(11)
• केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय, अर्ध-सरकारी या कानूनी निकाय अथवा स्वायत्त संगठन के अधिकारी– (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद पर कार्यरत हो; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (रु. 78800-209200) या समकक्ष स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उक्त ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो; अथवा (iii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (रु. 67700-208700) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उक्त ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो; तथा (b) वित्त, लेखा या प्रशासन के क्षेत्र में न्यूनतम दो वर्ष का पर्याप्त अनुभव रखता हो।

टिप्पण 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पूर्व केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य *बाह्य संवर्ग बाह्य* पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.- विभागीय अवर सचिव, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (रु. 67700-208700) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् संबंधित ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो, उन्हें प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अभ्यर्थियों के साथ विचारार्थ लिया जाएगा तथा यदि उनका चयन उक्त पद पर नियुक्ति के लिए किया जाता है, तो ऐसी नियुक्ति को प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।

यदि प्रोन्नति या स्थायीकरण पर विचार करने हेतु कोई विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जब भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण हेतु) की संरचना इस प्रकार है:- (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी - अध्यक्ष; (2) संयुक्त सचिव, प्रतिष्ठान या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य; (3) वैज्ञानिक 'जी', प्रतिष्ठान - सदस्य।	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. अवर सचिव	2* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	समूह 'क' प्रशासनिक पदों के समकक्ष।	स्तर -11 (रु. 67700 - 208700)	गैर-चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	अल्पकालिक संविदा सहित प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति

11
प्रोन्नति : (1) प्रतिष्ठान में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रु. 44900–142400) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् संबंधित ग्रेड में नौ वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले अनुभाग अधिकारी। टिप्पण 1.- विभागीय अनुभाग अधिकारी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रु. 44900–142400) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् संबंधित ग्रेड में नौ वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो, पर प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों के साथ

विचार किया जाएगा तथा यदि उनका चयन उक्त पद पर नियुक्ति हेतु किया जाता है, तो ऐसी नियुक्ति को प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।

टिप्पण 2.- जहाँ ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, जिन्होंने निर्धारित अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, वहाँ उनके वरिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों पर भी प्रोन्नति पर विचार किया जाएगा, परंतु वे निर्धारित अर्हक अथवा पात्रता सेवा से उस सेवा की आधी अवधि अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से अधिक कम न हों, तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ, जिन्होंने उक्त अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु विहित परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति:

केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय, अर्द्ध-सरकारी या कानूनी निकाय अथवा स्वायत्त संगठन के अधिकारी—

(क) (i) जो अपने मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष पद पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर–10 (रु. 56100–177500) या समकक्ष स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो; अथवा

(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर–9 (रु. 53100–167800) या समकक्ष स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में सात वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो; अथवा

(iv) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर–7 (रु. 44,900–1,42,400) या समकक्ष स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में नौ वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो; तथा

(ख) वित्त, लेखा तथा प्रशासन के क्षेत्र में न्यूनतम पाँच वर्ष का पर्याप्त अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पूर्व उसी या किसी अन्य संगठन अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग में धारित किसी अन्य *संवर्ग-बाह्य* पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति हेतु) की संरचना इस प्रकार है:- (1) संयुक्त सचिव, प्रतिष्ठान या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - अध्यक्ष; (2) वैज्ञानिक 'ई', प्रतिष्ठान - सदस्य; (3) निदेशक, प्रतिष्ठान - सदस्य।	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. अनुभाग अधिकारी	*2 (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	समूह 'ख' प्रशासनिक पद के समकक्ष	स्तर -7 (रु.44900 - 142400).	लागू नहीं होता	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम पॉंच वर्षों तक छूट प्रदान की जा सकती है।) टिप्पण - आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख़ अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ होगी, न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के लाहुल एवं स्पीति और पांगी उप-जनपद तथा संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तारीख़।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री, तथा (ii) कार्मिक, सामान्य प्रशासन और लेखा में पाँच वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/समायोजन द्वारा यदि ऐसा न हो तो सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय या अर्द्ध-सरकारी अथवा कानूनी निकाय या स्वायत्त संगठन के अधिकारी— (क)(i) जो अपने मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष पद पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर–6 (रु. 35400–112400) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो; और (ख) वित्त, लेखा तथा प्रशासन के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखते हों। टिप्पण 1— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पूर्व उसी या किसी अन्य संगठन अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित होगी, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2–** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ के अनुसार छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण हेतु) की संरचना इस प्रकार है: (1) संयुक्त सचिव, प्रतिष्ठान या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - अध्यक्ष; (2) वैज्ञानिक 'ई', प्रतिष्ठान - सदस्य; (3) निदेशक, प्रतिष्ठान - सदस्य।	लागू नहीं होता

[फा. सं. आरआर/एएनआरएफ़ -2025]

सुनील कुमार, अपर सचिव,

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2026

G.S.R. 311(E).— Whereas certain draft rules, namely, the Anusandhan National Research Foundation Group 'A' and Group 'B' Administrative Posts Recruitment Rules, 2025, were published, as required under sub-section (1) of section 23 of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 5th August, 2025 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby;

And Whereas, no objection or suggestion was received in respect of the said draft rules for the consideration of the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (d) of sub-section (2) of section 23 of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023), the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Anusandhan National Research Foundation, Group 'A' and Group 'B' Administrative Posts Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023);

(b) "controlling authority" means the Executive Council of the Foundation;

(c) "Foundation" means the Anusandhan National Research Foundation established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(d) "Schedule" means the Schedule appended to these rules, and

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Application. - These rules shall apply to posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

4. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of posts, their classification and level in pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

5. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

6. Appointing Authority. - The Executive Council of the Foundation shall be the appointing authority in respect of the posts mentioned in column (1) of the Schedule.

7. Annual Performance Appraisal Report. – The Officers holding posts specified in column (1) of the said Schedule shall fill up the Annual Performance Appraisal Report, in the format provided for in the Scheme, mandatorily on an annual basis.

8. Probation. – (1) The period of probation for officers appointed to the grade of Section Officer by direct recruitment shall be two years:

Provided that the controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Central Government:

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be made ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, the Officer shall, if considered fit for permanent appointment, be confirmed against the available substantive vacancy.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Foundation is of the opinion that an Officer is not fit for permanent appointment, the Foundation may discharge or revert the Officer to the post held by him prior to his appointment in the Foundation, as the case may be.

(4) During the period of probation, or any extension thereof, Officer may be required by Foundation to undergo such courses of training and instructions and to pass examinations and tests, including examination in Hindi language, as Foundation may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the Officer shall be governed by the instructions issued by the Central Government in this regard.

9. Confirmation. – Confirmation of officer appointed through direct recruitment shall be done by the controlling authority on the recommendations of the Departmental Confirmation Committee as specified in the Schedule.

10. Disqualification. - No person, -
(a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person:

shall be eligible for appointment to the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

11. Outdoor medical treatment. – (1) The Officers shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family.

Explanation. - For the purposes of this rule, the expression "family" shall have the meaning assigned to it in the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944.

(2) The reimbursement of outdoor medical expenses during the year shall be limited to the actual expenses or one month's pay on the 1st day of January of the year, basic pay plus dearness allowance, whichever is less:

Provided that release of increment or promotion during the year shall not affect the limit as on the 1st day of January.

(3) The medical claim shall be supported by medical officer's prescription and the original cash memos or bills for treatment and purchase of medicines duly signed and authenticated with the signature and seal of the medical officer.

(4) For Officers joining the duty during the year after the 1st day of January, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis.

(5) The outdoor treatment shall be availed only from the Authorised Medical Attendants duly empanelled by the Foundation.

(6) In case of chronic ailments, prescription from the hospitals recognised or covered under the Central Service (Medical Attendance) Rules, 1944 or the Central Government Health Scheme shall be admissible for the purposes of reimbursement of the cost of medicines and tests, if any.

(7) For the purposes of cost intensive treatment, the reimbursement shall be admissible at the rates specified in accordance with the provisions of the Central Government Health Scheme or the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944 with the approval of the Foundation on a case to case basis.

(8) In case of emergency, the Officer may avail treatment at the nearest hospital and expenditure shall be reimbursed as per the rates specified under the Central Government Health Scheme subject to production of emergency certificate from the medical officer or the hospital authorities.

12. Indoor medical treatment. - (1) For the purposes of indoor medical treatment, the Officer shall be eligible to avail treatment in hospitals authorised by the Foundation in this behalf and for this purpose cost of treatment including hospital accommodation, nursing home facility shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944 as applicable to the Central Government officers drawing equivalent salary in pay matrix.

(2) The treatment in authorised hospitals referred to in sub-rule (1) shall be the same as may be admissible to the Central Government officers availing the treatment in accordance with the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944.

(3) The treatment at authorised hospitals referred to in sub-rule (1) shall be availed only on the advice of the Authorised Medical Attendant, except in emergency cases.

13. Retirement Benefits. - The provisions of New Pension Scheme or Unified Pension Scheme, as applicable to the Central Government Officers of corresponding pay levels, shall be applicable to the Officers of the Foundation specified in the said Schedule.

14. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

15. Initial Constitution. - (1) All officers appointed on a regular basis to these posts on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed to the said post under these rules and the regular service rendered by them in the said post before such commencement shall be taken into account for the purposes of seniority, promotion, confirmation etc.

(2) The terms and conditions of service of the officers of the Foundation in service immediately before the commencement of these rules shall be in accordance with the provisions of these rules.

16. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government in this regard.

Schedule

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.	Age-limit For direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Director.	2* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	equivalent to Group ‘A’ Administrative Posts.	Level-13 (Rs. 123100 - 215900).	Not applicable.	Not applicable.

Educational And other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion or deputation including short-term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
11)
Officers of the Central Government, State Government, Union territory administration, public sector undertaking, recognised research institution, university, semi Government or statutory body or autonomous organisation, - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-12 in the pay matrix (Rs.78800 -209200) or equivalent; or (iii) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-11 in the pay matrix (Rs.67700 – 208700) or equivalent; and (b) possessing two years' experience in finance, accounts or administration. Note 1.- The period of deputation, including the period of deputation in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government or State Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application. Note 3.- The departmental Under Secretary with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-11 in the pay matrix (Rs.67700 – 208700) will also be considered along with deputationists and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

If a Departmental Promotion Committee for considering promotion or confirmation exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: - (1) Chief Executive Officer -Chairperson; (2) Joint Secretary from the Foundation or Department of Science and Technology – Member; (3)Scientist-'G' from the Foundation -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Under Secretary.	2* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	equivalent to Group 'A' Administrative Posts.	Level-11 (Rs. 67700 - 208700).	Non-selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion or deputation including short-term contract.

(11)
Promotion:
(1) Section Officer with nine years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level -7 in the pay matrix (Rs.44900 – 142400) in the Foundation. Note 1.-The departmental Section Officer with nine years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900 – 142400) shall be considered along with deputationists and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. Note 2.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Deputation: Officers of the Central Government, State Government, Union territory administration, public sector undertaking, recognised research institution, university, semi Government or statutory body or autonomous organisation, - (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100 – 177500) or equivalent; or (iii) with seven years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-9 in the pay matrix (Rs. 53100 –167800) or equivalent; or (iv) with nine years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level- 7 in the pay matrix (Rs.44900 –142400) or equivalent; and (b) possessing two years' experience in finance, accounts and administration. Note 1.- The period of deputation, including the period of deputation in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government or State Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2.-The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of:- (1) Joint Secretary from the Foundation or Department of Science and Technology - Chairperson; (2) Scientist- 'E' from the Foundation - Member; (3) Director from the Foundation - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Section Officer.	2* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	equivalent to Group 'B' Administrative Posts.	Level-7 (Rs.44900 - 142400).	Not applicable.	Not exceeding thirty-five years. (Relaxable up to five years to Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note. - The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Bachelor's degree from a recognised university, and (ii) five years' experience in personnel, General Administration and Accounts.	Not applicable.	Two years.	By deputation/absorption Failing which by direct recruitment.

(11)
Deputation: Officer of the Central Government, State Government, Union territory administration, public sector undertaking, recognised research institution, university or semi Government or statutory body or autonomous organisation, - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400), and (b) possessing two years experience in finance, accounts and administration. Note 1.- The period of deputation, including the period of deputation in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government or State Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for confirmation) consisting of:- (1) Joint Secretary from the Foundation or Department of Science and Technology -Chairperson; (2) Scientist- 'E' from the Foundation - Member; (3) Director from the Foundation - Member.	Not applicable.

[F.No. RR/ANRF-2025]

SUNIL KUMAR, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.05.06 10:13:43 +05'30'